



विकसित भारत
अभियान

कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिश्रेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

F.No.: GCCO/II/3/TRAN/87/2020-ADMN/1206

कार्यालय आदेश सं.: 06/2024

दिनांक : 29.04.2024

सुश्री बबनीत तुली, अपर आयुक्त, कार्यालय मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं सीएक्स, जयपुर जोन, जयपुर के दिनांक 29.04.2024 से 03.05.2024 तक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता केंद्र, नई दिल्ली में प्रशिक्षण पर होने के कारण दिनांक 29.04.2023 से उनके प्रशिक्षण से लौटने तक की अवधि तक के लिए अपर आयुक्त, सीसीओ, सीजीएसटी एवं सीएक्स, जयपुर जोन, जयपुर का कार्यभार डॉ. कपिल यादव, अपर आयुक्त, अंकेक्षण आयुक्तालय, जयपुर, अपने कार्यभार के साथ अतिरिक्त रूप से देखेंगे।

यह आदेश मुख्य आयुक्त महोदय के संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

Signed by Anupama Saksena

Date: 29-04-2024 13:39:37
(अनुपमा सक्सेना)

सहायक आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. डॉ. कपिल यादव, अपर आयुक्त, अंकेक्षण आयुक्तालय, जयपुर।
2. आयुक्त, अंकेक्षण आयुक्तालय, जयपुर।
3. समस्त शाखा प्रभारी, सीसीओ, सीजीएसटी एवं सीएक्स, जयपुर जोन, जयपुर।
4. वेबमास्टर को उक्त आदेश की प्रति जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।